an>

Title: Need to adhere to the guidelines contained in the New Coal Distribution Policy.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोयले पर चलने वाली इंडस्ट्रीज़ की कैफियत यहां रखने वाला हूं।

आज से छः माह पहले सरकार ने नई कोल वितरण नीति की घोषणा की थी। तब कोयले की सहायता से इंडस्ट्री चलाने वाले व्यवसायियों और छोटे उद्योग वालों ने राहत की उम्मीद की थी। आज छः माह के बाद भी सरकार और कोल इंडिया में असमंजस बरकरार है। इस नीति पर दिए गए दिशा-निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। इस कोयला नीति के तहत सरकार ने 4000 टन प्रतिवर्ष कोयला लेने वालों को एक फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट (एफ.एस.ए.) करने को कहा है। इसमें कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को नोर्मेटिव क्वाण्टिटी का 75% कोयला देने का एफ.एस.ए. करने को कहा था। परन्तु कोल इंडिया और उसकी कोल कम्पनी ने एम.पी.क्यू., अर्थात् मिनिमम परमीसिबल क्वाण्टिटी के 75% का एफ.एस.ए. करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। अर्थात्, जिस कम्पनी का नोर्मेटिव क्वाण्टिटी 6000 टन है, और बाद में इसका एम.पी.क्यू. 2000 टन हो गया हो तो कोल डिस्ट्रीब्यूशन पालिसी के अनुसार इन्हें 4500 टन कोयला मिलना चाहिए, जबकि कोल इंडिया ने एम.पी.क्यू का 75% अर्थात् 1500 टन का एफ.एस.ए. करने के लिए सर्कुलर जारी किया है।

मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी पालिसी है, उससे कम्पनियां बन्द हो रही हैं और हमारे सारे एम्पलाइज़ बेरोजगार हो रहे हैं। यह मेरे क्षेत्र की बात है। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Thank you for raising it. I have allowed it. You should be brief and specific. You should not give lecture.